

नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय
सेक्टर - 19 अटल नगर नवा रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

क्रमांक /00/ 735/FIRE SERVICE/2020-A /फायर सर्विस / एन°ओ°सी° /2023/ दुर्ग

दिनांक : 26/06/2023


प्रमाणित किया जाता है कि श्री SHRI MAHAVIR JAIN PUBLIC SCHOOL के परिसर NEAR PULGAON POLICE STATION, PULGAON DURG में स्थित SHRI MAHAVIR JAIN PUBLIC SCHOOL का इस विभाग द्वारा "" अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र"" पत्र क्रमांक- 735/FIRE SERVICE/2020 दिनांक 14/01/2020 को जारी किया गया था। इस परिसर का पुनः निरीक्षण इस विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी श्री नागेंद्र कुमार सिंह द्वारा श्री रामानंद निषाद की उपस्थिति में दिनांक 23/06/2023 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-IV 2016 के अनुसार अग्नि निवारण एवं अग्नि से बचाव संबंधित उपकरण एवं प्रणाली का निरीक्षण किया गया एवं संतोषजनक पाया गया। अतः निम्न शर्तों के अधीन एक वर्ष अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें

- 1 सभी अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपकरण/प्रणाली, निकास द्वार व्यवधान रहित एवं हमेशा अच्छी हालत में रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की चूक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा।
- 2 अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो इस प्रमाण पत्र को निरस्त माना जावेगा।
- 3 अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों को प्रचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का माक ड्रिल कर इसका रिकार्ड बना कर रखा जावे।
- 4 बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बाय लॉज का कड़ाई से पालन किया जावे।
- 5 मकान मालिक/कबजाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होगा।
- 6 अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से SHRI MAHAVIR JAIN PUBLIC SCHOOL में स्थापित सभी उपकरण हमेशा सुचारु रूप से चालू रखने की ज़िम्मेदारी पूर्णतः SHRI MAHAVIR JAIN PUBLIC SCHOOL की होगी जिसके लिए नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय छत्तीसगढ़ की कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी।
- 7 निरीक्षण टीम की अनुशंसा पर फर्स्ट ऐड होज़ रील सिस्टम लगाने का निर्देश दिया जाता है।
- 8 यह भवन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजपत्र क्रमांक 714, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 में उल्लिखित अधिसूचना क्र. एफ/13-24/दो-गृह/न.से./2017 अनुसार घोषित आग के संभावित खतरों की श्रेणी वाले भवनों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। आवेदक की मांग पर यह पत्र फ़ायर ऑडिट के निष्कर्ष के रूप में दिया जा रहा है।



जारी दिनांक : 26/06/2023


निदेशक
ट्रेनिंग आपदाभयन
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ
नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा, छत्तीसगढ़

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर